

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्राशि/बजट/बी-7/2018-19/ 1

दिनांक:- 15-1-2019

जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)  
प्रारम्भिक शिक्षा:- अलवर

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके मांग-पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता, (02)-बालिकाओं के लिए उ.प्रा.वि. (02)-बालिकाओं के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध, 04-चिकित्सा व्यय (राज्य निधि) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये निम्नानुसार कार्यालयों को गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2008/2013 के तहत प्रकरण की जाँच करने के उपरांत ही नियमानुसार किया जावे।

| क्र.सं | ऑफिस आई.डी. | जि.शि.अमु./ कार्यालय का नाम | 04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रुपये में। | विशेष विवरण   |
|--------|-------------|-----------------------------|---|---|
| 1      | 1516        | अलवर                        | 35980                                       | श्री गोकुल राम मीणा स0कर्मचारी राउप्रावि न0 -3 जालवाला कुआं अलवर के स्वयं गंभीर रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।<br>28055/- - 7925/- = 35980/- |
|        |             |                             | 35980                                       |   |

(अखरे रुपये पैतिस हजार नो सौ अस्सी मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 5 (थ-75) कोष/IFMS/ कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.13 के तहत IFMS अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक माह की 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 03 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

मुख्य लेखाधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमति.....
5. रक्षित पत्रावली।

६०

मुख्य लेखाधिकारी



# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्राशि/बजट/बी-7/2018-19/

2

दिनांक:- 15-1-2019

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,  
पंचायत समिति:- केकडी (अजमेर)

विषय:- चिकित्सामद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके मांग-पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतो को सहायता, (03)-बालकों के लिए प्रा.वि. (02)-बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध, 04-चिकित्सा व्यय (राज्य निधि) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये निम्नानुसार कार्यालयों को गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2008/2013 के तहत प्रकरण की जाँच करने के उपरांत ही नियमानुसार किया जावे।

| क्र.सं | ऑफिस आई.डी. | मुख्यबीईओ कार्यालय का नाम | 04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में। | विशेष विवरण  |
|--------|-------------|---------------------------|--|--|
| 1      | 1412        | केकडी (अजमेर)             | 55503  | श्रीमति शान्ति कुमारी शर्मा अध्यापिका राप्रवि भीलबस्ती केकडी के स्वयं गंभीर रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु। 3750/- 51753/- = 55503/- |
|        |             |                           | 55503  |  |

(अखरे रूपये पिचपन हजार पांच सौ तीन मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 5 (थ-75) कोष/IFMS/ कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.13 के तहत IFMS अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक माह की 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 03 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

मुख्य लेखाधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमति.....
5. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी